जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2016/ 3198

दिनांक : 14/06/2016

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 जून, 2015 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार **श्री राम कॉलेज, पोरसा, मुरैना** को **सत्र 2015-16** के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी.ए. (आ.पा., हिन्दी, इतिहास, राजनीतिविज्ञान), बी.एस-सी. (आ.पा., फिजीक्स, कैमिस्ट्री, मैथ, अतिरिक्त विषय- जुलॉजी, बॉटनी)** पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

महाविद्यालय किराये के भवन में संचालित है। उसमें सिर्फ एक कक्ष में विज्ञान की कुछ सामग्री प्रदर्शनी की भांति रखी थी। पुस्तकालय में कोई कय नही हुआ है। महाविद्यालय की अवस्था अध्ययन-अध्यापन लायक नही है। महाविद्यालय स्वयं को अपने निर्मित भवन में स्थानांतरित करें। विज्ञान की प्रत्येक प्रयोगशाला विषयानुसार पृथक-पृथक बनायें एंव उसमें पाठ्यकमानुसार उपकरण व प्रयोग रखें। पुस्तकालय में 200 पुस्तकें कय करें। शिक्षकों की परिनियम 28(17) की नियुक्ति 2013 में हुई थी। उसमें से एक शिक्षक बचा है। नवीन नियुक्ति की प्रकिया प्रारंभ की है इसे तीन माह में पूर्ण करें। शासी निकाय व कॉलेज काउंसिल का गठन करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, **श्री राम कॉलेज, पोरसा, मुरैना।**
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्